


हमिचल प्रदेश के हट्टी समुदाय

केंद्र, हमिचल प्रदेश सरकार के अनुरोध पर राज्य में [अनुसूचित जनजातियों](#) की सूची में हट्टी समुदाय को शामिल करने पर वचिार कर रहा है ।

- यह समुदाय 1967 से इस अधिकार की मांग कर रहा है, जब उत्तराखंड के जौनसार बावर इलाके (जसिकी सीमा सरिमौर ज़िले से लगती है) में रहने वाले लोगों को आदवासी का दर्जा प्रदान किया गया था ।
- आदवासी दर्जे की उनकी इस मांग को वर्षों से वभिन्न महा खुंबलियों में पारति प्रस्तावों के कारण बल मला है ।



हट्टी समुदाय:

- हट्टी एक घनषिठ समुदाय है, जसि कसबों में 'हाट' नामक छोटे बाज़ारों में घरेलू सब्जियाँ, फसल, मांस और ऊन आदबिचने की परंपरा से यह नाम मला है ।
- हट्टी समुदाय में पुरुष आमतौर पर समारोहों के दौरान एक वशिषिठ सफेद टोपी पहनते हैं, यह समुदाय सरिमौर से गरि और टोंस नामक दो नदियों द्वारा वभिजति हो जाता है ।
 - टोंस इसे उत्तराखंड के जौनसार बावर कषेत्र से वभिजति करती है
- वर्ष 1815 में जौनसार बावर कषेत्र के अलग होने तक उत्तराखंड के ट्रांस-गत्रि कषेत्र और जौनसार बावर में रहने वाले हट्टी कभी सरिमौर की शाही रयासत का हसिसा थे ।
 - दोनों कुलों में समान परंपराएँ हैं और अंतरजातीय-ववािह आम बात है ।
- हट्टी समुदायों के बीच एक कठोर जात वियवस्था है- भट और खश उच्च जातियाँ हैं, जबकि बिधोई उनसे नीची जातियाँ हैं ।
- अंतरजातीय ववािह अब परंपरागत रूप से सख्त नहीं रहे हैं ।
- सथलाकृतिक असुवधाओं के कारण कामरौ, संगरा और शलियाई कषेत्रों में रहने वाले हट्टी शकिषा व रोजगार में पीछे रह गए हैं ।
- हट्टी समुदाय खुंबली नामक एक पारंपरिक परषिद द्वारा शासति होती है, जो हरयाणा के खाप पंचायत की तरह सामुदायिक मामलों को देखती है ।
- [पंचायती राज व्यवस्था](#) की स्थापना के बावजूद खुंबली की शक्ति को कोई चुनौती नहीं मली है ।

अनुसूचित जनजाति:

- संवधान का अनुच्छेद 366 (25) अनुसूचति जनजातियों को उन समुदायों के रूप में संदर्भति करता है, जो संवधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार नरिधारति हैं।
- अनुच्छेद 342 के अनुसार, केवल वे समुदाय जिन्हें राष्ट्रपतिद्वारा प्रारंभिक सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से या संसद के बाद के संशोधन अधिनियम के माध्यम से ऐसा घोषति कया गया है, उन्हें अनुसूचति जनजाति माना जाएगा।
- अनुसूचति जनजातियों की सूची राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वशिष्ट है और एक राज्य में अनुसूचति जनजातियों के रूप में घोषति समुदाय के लिये दूसरे राज्य में भी ऐसा होने की आवश्यकता नहीं है।
- किसी समुदाय को अनुसूचति जनजातियों के रूप में नरिदषित करने के मानदंड के बारे में संवधान मौन है।
 - आदिता, भौगोलिक अलगाव, शर्म और सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक पछिड़पन ऐसे लक्षण हैं जो अनुसूचति जनजातिसमुदायों को अन्य समुदायों से अलग करते हैं।
- कुछ अनुसूचति जनजातियाँ, जिनकी संख्या 75 है, को वशिष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) के रूप में जाना जाता है, इनकी वशिषता है:
 - प्रौद्योगिकी पूर्व कृषि स्तर
 - स्थिर या घटती जनसंख्या
 - अत्यंत कम साक्षरता
 - अर्थव्यवस्था का नरिवाह स्तर
- **STs हेतु सरकार की पहल:**
 - [अनुसूचति जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासी \(वन अधिकारियों की मान्यता\) अधिनियम, 2006 \(FRA\)](#)
 - [पंचायतों का पराधान \(अनुसूचति क्षेत्रों तक वसितार\) अधिनियम, 1996](#)
 - लघु वनोपज अधिनियम 2005
 - [अनुसूचति जातियों एवं अनुसूचति जनजातियों \(अत्याचार निवारण\) अधिनियम](#) और जनजातीय उप-योजना रणनीति जो कि अनुसूचति जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण पर केंद्रति हैं।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/hattis-of-himachal-pradesh>

